

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1634 / 2023

उदय सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, खेडली गडासिया बयाना, भरतपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.06.2023

आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित जनवरी, 2023 से वेतन दिया जावे एवं समस्त शेष राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर खेडली गडासिया बयाना, भरतपुर में कार्यरत है और आदेश दिनांक 26.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भरतपुर में अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण कर दिया गया था, जिसको चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6498/2022 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और यह भी निर्देशित किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था और अपीलार्थी तब से उक्त स्थान पर कार्यरत है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो उक्त

आदेश की पूर्ण रूप से पालना न करना दर्शाता है। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग का यह कृत्य मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण प्रकट होता है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित जनवरी, 2023 से वेतन दिया जावे एवं समस्त शेष राशि मय ब्याज सहित भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.12.2022 के द्वारा किया गया था, जिसे अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को यथा स्थान पदस्थापित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसे वही पदस्थापित किया गया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को जनवरी, 2023 से वेतन नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जनहित में अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरुद्ध प्रकट होता है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को नियमानुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से वेतन परिलाभ का भुगतान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य